न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड़ अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 85/2019 GCMS No 2019/00340
दायरा तिथि : 13.12.2019
फैसला तिथि : 30.07.2021
प्रार्थी::–
ओम प्रकाश पुत्र श्री चिमनाजी जाति छीपा
निवासी भन्दर तहसील बाली जिला पाली (राज0)

बनाम

अप्रार्थी :–
1. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–
1. श्री ओम प्रकाश दवे .... अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री नरेन्द्र चौहान........................ पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार

–:: आदेश ::– दिनांक-30.07.2021

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर उसके द्वारा ग्राम भन्दर तहसील बाली धारित की जा रही खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2909 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम ओटाराम पुत्र चमना** को दुरस्ती के माध्यम से **ओम प्रकाश पुत्र चिमनाजी शुद्ध** किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रतिया,, फोटो कांपी आधार कार्ड, फोटो कांपी राशन कार्ड,, फोटो कांपी पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग की प्रति, पैन कार्ड की प्रति, एवं स्कूलिंग टी.सी. की प्रतियॉ पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि में त्रुटिपुर्ण नाम **ओटाराम पुत्र चमना** दर्ज होनें तथा प्रार्थी द्वारा धारित अन्य सरकारी दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, टी.सी., पैन कार्ड, फोटो पहचान पत्र में प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम **ओम प्रकाश पुत्र चिमनाजी** दर्ज होना स्वीकार किया, तथा ओटाराम व ओम प्रकाश दोनो एक ही व्यक्ति होने तथा ओम प्रकाश चिमनाराम का पुत्र होने की पुष्टि सरपंच ग्राम पंचायत भंदर एवं ग्राम भंदर में मौतबिरान द्वारा करने से राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम **ओटाराम पुत्र चमना** के स्थान पर **ओम प्रकाश पुत्र चिमनाजी** शुद्ध किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील प्रार्थी श्री ओमदवे ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम **ओम प्रकाश पुत्र चिमनाजी** है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामशाह कार्ड, फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत कर दिये है, जबकि प्रार्थी द्वारा धारित की जा रही खातेदारी भूमि में नाम **ओटाराम पुत्र चमना** दर्ज है, जिसको दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् तहसीलदार, बाली के जबाव व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो के अवलोकन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। उपरोक्त वर्णित भूमियो में दर्ज प्रार्थी के त्रुटिपुर्ण नाम **ओटाराम पुत्र चमना को विलोपित** करते हुये **सही व शुद्ध नाम ओम प्रकाश पुत्र चिमनाजी दुरस्ती के माध्यम से दर्ज** किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, भंदर को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

आदेश आज दिनांक 30.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

Scanned with CamScanner